APPROVED UGC CARE ISSN - 2229 - 3620

SHODH SANCHAR BULLETIN
JOURNAL OF ARTS, HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES

AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY QUARTERLY BILINGUAL PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL

31

Certificate of Publication

डॉ0 रेनू प्रकाश
एसोसिएट प्रोफेसर
समाजशास्त्र
एस0एस0जे0 परिसर अल्मोड़ा।

TITLE OF RESEARCH PAPER

कार्यरत महिलाओं के विरूद्ध शोषण : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

This is certified that your research paper has been published in
Shodh Sanchar Bulletin, Volume 10, Issue 38 (II), April to June 2020

Date : 18-04-2020

Editor in Chief
SHODH SANCHAR BULLETIN
BILINGUAL INTERNATIONAL
RESEARCH JOURNAL, LUCKNOW

CHIEF EDITORIAL OFFICE

• 448 /119/76, KALYANPURI THAKURGANJ, CHOWK, LUCKNOW -226003 U.P.
Cell.: 09415578129, 07905190645
E-mail : serfoundation123@gmail.com
Website : http://seresearchfoundation.in | http://seresearchfoundation.in/shodhsancharbulletin/

ISSN - 2229-3620
APPROVED UGC CARE

SHODH SANCHAR BULLETIN
Vol. 10, Issue 38 (II) April-June 2020
Page Nos. 281-285

AN INTERNATIONAL BILINGUAL PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL

कार्यरत महिलाओं के विरूद्ध शोषण : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

❒ डॉ0 रेनू प्रकाश*

शोध सारांश

वर्तमान युग महिला सशक्तीकरण का युग माना जा सकता है। महिलायें सम्पूर्ण विश्व में अपनी योग्यता एंव कार्य क्षमता के आधार पर अपनी एक नई पहचान भी बना रही है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उन्होने अपनी विभिन्न उपलब्धियो को साबित भी किया है। किन्तु यह भी वास्तविकता है कि बदली हुई परिस्थितियों के साथ–साथ महिलाओं को अपने विरूद्ध होने वाले शोशण एंव हिंसा का सामना भी प्रतिदिन करना पडता है। जो निश्चित रूप से सम्पूर्ण महिला सशक्तीकरण के मार्ग में एक बडी बाधा उत्पन्न करता है। प्रस्तुत अध्ययन कार्यरत महिलाओं पर आधारित है, जिसमे पारिवारिक एंव कार्यस्थल सम्बन्धी शोशण को स्पश्ट करने का प्रयास किया गया है। समाज परिवर्तित तो होता है किन्तु परम्परागत समाज आज भी पारम्परिक विचारधारा वाले होते है। दशकों पश्चात भी महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन के साथ ही समस्याये भी विभिन्न स्वरूपों में परिलक्षित होती है।

Keywords : कार्यरत महिलाएं, शोशण, हिंसा

वर्तमान युग महिला सशक्तिकरण का युग माना जाता है। महिलाओं ने भी अपनी क्षमता तथा कौशल को और अधिक सशक्त बनाने मे कोई कसर नही छोड़ी है। कहने का तात्पर्य है कि पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं की जीवन शैली में कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले है। वह घर से बाहर निकलकर अपनी सामाजिक तथा आर्थिक जिम्मेंदारियों का निर्वहन भी सफलतापूर्वक कर रही है तथा आर्थिक रूप से सशक्त होने के लिए विभिन्न कार्य क्षेत्रों में भी प्रतिभागी रही है। अतः स्पश्ट है निर्बल एंव अबला समझी जाने वाली महिलाए अब सफलता के कई कीर्तीमान स्थापित कर रही है। किन्तु यह सिक्के का केवल एक पहलू है, दूसरा पहलू कई निराशाजनक तथ्यों को प्रस्तुत करता है। अर्थात एक कार्यरत महिला जो घर से बाहर निकलकर अपनी नई भूमिकाओं का विकास एंव विस्तार कर रही है, वही कई समस्याओं का सामना भी कर रही है, जिसमें महिला के विरूद्ध होने वाला शोशण प्रमुख है। महिलाओं के विरूद्ध बढते शोशण एव हिंसा ने निश्चित रूप से सशक्तीकरण में बाधा उत्पन्न की है। भारत में महिलाओं का शोशण प्राचीन समय से किसी ना किसी रूप में होता रहा है। वर्तमान समय में महिलाए घर एंव बाहर दोनों ही परिस्थियों को सम्भाल रही है जिसके परिणाम स्वरूप उनके काम–काज की समस्यायें भी निरन्तर बढ रही है। यद्यपि उनको विभिन्न क्षेत्रों में अधिकार प्रदान किये गये है परन्तु अभी भी वे अपने अस्तित्व के लिए निरन्तर संघर्शरत है।[1]

शोशण किसी भी व्यक्ति की इच्छा के विरूद्ध किया जाने वाला कार्य या व्यवहार है। वर्तमान समय में महिलाओं के विरूद्ध अपराध/शोशण निरन्तर बढते जा रहे है। पारिवारिक हिंसा के साथ कार्यस्थल में होने वाले शोशण का सामना महिलाओं को प्रतिदिन करना पड़ता है।

साहित्य सर्वेक्षण :–

डी0पॉल (1991) के अनुसार, "सामाजिक और आर्थिक विकास में सहभागिता के बावजूद एक महिला का स्तर असन्तोशजनक है। इसका प्रमुख कारण है हमारे समाज में महिला के प्रति सामाजिक व्यवहार, मानव द्वारा बनाये गये नियम और सामाजिक चलन जो उसके निम्न स्तर, बूरे व्यवहार और उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार हैं।"[2]

एम0 कृश्णराज (1988) ने अपने अध्ययन मे बताया कि महिलाओं की समस्या न केवल लैंगिक विभेद की समस्या है, वरन् विकास की भी समस्या। नवीन विकास प्रक्रिया के बावजूद भी महिलाओं की निम्न स्थिति, परम्परागत असमानता और विभेद का परिणाम है तथा दूसरी ओर विकास की नवीन प्रक्रिया स्वय पूर्वाग्रह और विरोधीमूलक प्रतिमानों से ग्रसित है। परिणाम स्वरूप विकास की प्रक्रिया लैंगिक असमानता की निरन्तरता को बनाये हुए है।[3]

शंकरजहां आरती एंव लतिका (1998) के अनुसार यदि कार्यरत महिला अपने अधिकारो का प्रयोग सामाजिक

*एसोसिएट प्रोफेसर – समाजशास्त्र, एस0एस0जी0 डिग्री कालेज, अलीगढ़।

मान्यताओं के विरूद्ध करती है तो वह सजा की हकदार बनती है। सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक परिस्थितियां भी महिलाओं के उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार हैं, वे उन परिस्थितियों की शिकार होती है जो कि भारतवर्ष में जन्म से लेकर लिंगीय भेदभाव के कारण उत्पन्न हुई है और चली आ रही है।[4]

कपूर पी0 (1970) ने भी अपने अध्ययनों में स्पष्ट किया है कि अनेक उदाहरणों में जहां पति अपनी पत्नियों से कम आय कमाते है, वहां पर वैवाहिक समस्यायें लगभग प्रत्येक उदाहरण में पायी गयी हैं। कपूर के अनुसार इसका कारण अपने पति से अधिक कमाने वाली पत्नियों का अति विकसित अहम् है। ऐसे अहम पति के लिए एक धमकी बन जाते हैं, और वह इन धमकियों से बाहर निकलने के लिए हिंसात्मक व्यवहार भी अपना सकता है।[5]

टी0 एम0 दाक (1988) ने आर्थिक शोशण के सन्दर्भ में ने लिखा है कि अधिकांश कार्यरत महिलाओं को अपनी पूरी आय अपने पति या सास–ससुर को देनी पडती है। अपनी आय को खर्च करने को अधिकार उसे नहीं होता। यह आय घर की व्यवस्था में खर्च होती है, यहां तक कि उसे व्यक्तिगत प्रयोग की वस्तुओं को खरीदने के लिए भी जेब खर्च नहीं दिया जाता।[6]

उर्मिला पटेल के अनुसार "किसी भी महिला के कार्य करने की क्षमता हमेशा से ही संदिग्ध होती है। विशेश रूप से उच्च वर्गीय पदों पर आसीन महिलाओं की शैक्षिक योग्यता भी पुरूशों के समान ही होती है। परन्तु फिर भी पुरूश वर्ग को अधिक प्राथमिकता दी जाती है। किसी महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त करने से पूर्व अधिकारी एक महिला के बारे में कम से कम दो बार अवश्य सोचते हैं कि क्या वह अपनी भूमिका सही तरीके से निभा पायेगी? अगर किसी पद पर नियुक्त होती भी है तो एक स्त्री होने के कारण व्यंग्य बाणों का शिकार होती है।"[7]

ए0 डी0 मिश्रा (1994) के अध्ययन के अनुसार, "पुरूश कर्मचारी मानसिक तौर पर किसी महिला से निचले पद पर कार्य करना स्वीकार नहीं करते। अतः कार्यालय में जितने भी पुरूश सहकर्मी होते हैं वह साथ मिलकर उस पर व्यंग्य बाण कसते हैं, जिससे मानसिक तौर पर वह इन परिस्थितियों को झेल नहीं पाती और भीतरी तौर पर टूट जाती है।"[8]

अतः स्पश्ट है कि एक शिक्षित महिला ने वर्तमान कार्यरत परिप्रेक्ष्य में प्रवेश किया है तथा सामाजिक एवं आर्थिक सुदृढता के साथ एक सशक्त महिला के रूप में अपनी पहचान भी बनाई है। परम्परागत विचारधारा आज भी वहीं सदियों पुरानी है जो महिला के विरूद्ध एक तरह से उसके प्रति शोशण एवं हिंसा को जन्म देता है।

शोध अभिकल्प :

प्रस्तुत अध्ययन नैनीताल जिले के नगरीय क्षेत्र के शासकीय विभागों में सभी श्रेणियों (प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ) की कार्यरत महिलाओं में शोशण तथा हिंसा को देखने का प्रयास किया गया है। प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी की कार्यरत महिलाओं को समग्र तथा तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी की कार्यरत महिलाओं के 50% को देव निदर्शन पद्धति की लाटरी विधि से चयनित किया गया। इस प्रकार प्रस्तुत अध्ययन कुल 464 अध्ययन इकाइयों पर आधारित है।

प्रस्तुत शोध पत्र मुख्य रूप से प्राथमिक आंकड़ों पर आधारित है तथा आंकड़े एकत्रित करने के लिए मुख्य रूप से साक्षात्कार अनुसूची तथा आवश्यकतानुसार असहभागी अवलोकन पद्धति का उपयोग किया गया है।

उपलब्धियां :–

अध्ययन से प्राप्त निश्कर्श निम्नवत् है।

कार्यरत महिला के संदर्भ में माना जाता है कि उनका आर्थिक पहलू से शोशण होता है। प्रस्तुत सारणी उत्तरदाताओं की इस संदर्भ में मनोवृत्ति को प्रदर्शित करती है ।

सारणी संख्या – 1.01

महिलाओं का आर्थिक पहलू से शोशण होने के संदर्भ में उत्तरदाताओं के मत

⇨वर्ग	योग		प्रथम श्रेणी		द्वितीय श्रेणी		तृतीय श्रेणी		चतुर्थ श्रेणी	
वर्ग ⇩	आवृत्ति	प्रति0	आवृत्ति	प्रति0	आवृत्ति	प्रति0	आवृत्ति	प्रति0	आवृत्ति	प्रति0
हाँ	78	16.8	6	33.3	10	27.8	28	11.2	34	21.3
नहीं	322	69.4	10	55.6	26	72.2	170	68.0	116	72.5
कह नहीं सकते	64	13.8	2	11.1	–	–	52	20.8	10	6.2
योग	**464**	**100**	**18**	**100**	**36**	**100**	**250**	**100**	**160**	**100**

उपरोक्त सारणी से स्पश्ट होता है कि अधिकांश उत्तरदाता (69.4 प्रतिशत) महिलाओं के आर्थिक पहलू से होने वाले शोशण को स्वीकार नहीं करते हैं। जबकि केवल 13.8 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस संबंध में अपना कोई मत प्रकट नही किया है।

श्रेणीगत आधार पर भी चारों श्रेणियों के उत्तरदाता (क्रमशः

55.5 प्रतिशत, 72.2 प्रतिशत, 68.0 प्रतिशत तथा 72.5 प्रतिशत) महिलाओं के आर्थिक शोषण को स्वीकार नहीं करते हैं।

सारणी संख्या – 1.02

महिलाओं की अर्जित आय का उनके द्वारा व्यय के अधिकार के संदर्भ में भेदभाव के विषय में उत्तरदाताओं का मत

वर्ग ⇨	योग		प्रथम श्रेणी		द्वितीय श्रेणी		तृतीय श्रेणी		चतुर्थ श्रेणी	
भेदभाव ⇩	आवृत्ति	प्रति0	आवृत्ति	प्रति0	आवृत्ति	प्रति0	आवृत्ति	प्रति0	आवृत्ति	प्रति0
हाँ	38	8.2	4	22.2	6	16.7	20	8.0	8	5.0
नहीं	264	56.9	10	55.6	20	55.6	148	59.2	86	53.8
कह नहीं सकते	162	34.9	4	22.2	10	27.7	82	32.8	66	41.2
योग	**464**	**100**	**18**	**100**	**36**	**100**	**250**	**100**	**160**	**100**

उपरोक्त सारणी से स्पश्ट होता है कि अधिकांश उत्तरदाता (56.6 प्रतिशत) यह अस्वीकार करते हैं कि उनकी अर्जित आय के व्यय के संदर्भ में किसी प्रकार का कोई भेदभाव किया जाता है। इसके विपरीत केवल 8.2 प्रतिशत उत्तरदाताओं के साथ उनकी अर्जित आय को व्यय करने में भेदभाव किया जाता है। श्रेणीगत आधार पर भी अधिकांश उत्तरदाताओं (क्रमशः 55.6 प्रतिशत, 55.6 प्रतिशत, 59.2 प्रतिशत तथा 53.8 प्रतिशत) का मानना है कि अपनी आय को व्यय करने में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। यहाँ पर एक आश्चर्यजनक बात यह परिलक्षित होती है कि प्रथम श्रेणी के 22.2 प्रतिशत तथा द्वितीय श्रेणी के 16.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं का यह मानना है कि उन्हें अपनी अर्जित आय के व्यय के संदर्भ में भेदभाव की स्थिति का सामना करना पड़ता है। इससे यह स्पश्ट होता है कि व्यय संबंधी भेदभाव उच्च श्रेणी की कार्यरत महिलाओं में तुलनात्मक रूप से अधिक है। ये महत्वपूर्ण प्रवृत्ति इस ओर इंगित करती है कि व्यय संबंधी आर्थिक शोशण का शिकार उच्च श्रेणीगत महिलाएं अधिक हैं।

ऐसा माना गया है कि कार्यरत महिला से प्राप्त आय का उसके परिवार के सदस्य स्वागत करते हैं परंतु उससे संबंधित परिवर्तित माँगों को नकार दिया जाता है। प्रस्तुत सारणी इस संदर्भ में उत्तरदाताओं की मनोवृत्ति को प्रदर्शित करती हैं :

सारणी संख्या– 1.03

परिवार में आय का स्वागत और परिवर्तित माँगों को नकार दिया है के संबंध में उत्तरदाताओं की मनोवृत्ति

वर्ग ⇨	योग		प्रथम श्रेणी		द्वितीय श्रेणी		तृतीय श्रेणी		चतुर्थ श्रेणी	
मत ⇩	आवृत्ति	प्रति0	आवृत्ति	प्रति0	आवृत्ति	प्रति0	आवृत्ति	प्रति0	आवृत्ति	प्रति0
हाँ	218	47.0	8	44.4	16	44.5	96	38.4	98	61.3
नहीं	150	32.3	10	55.6	16	44.4	84	33.6	40	25.0
कह नहीं सकते	96	20.7	–	–	4	11.1	70	28.0	22	13.7
योग	**464**	**100**	**18**	**100**	**36**	**100**	**250**	**100**	**160**	**100**

उपरोक्त सारणी से स्पश्ट है कि सर्वाधिक उत्तरदाता (47.0 प्रतिशत) स्वीकार करते हैं कि एक कार्यरत महिला से प्राप्त आय का उसके परिवार के सदस्य स्वागत करते हैं परंतु उससे परिवर्तित माँगों को नकार देते हैं। अनऔपचारिक वार्ता में उत्तरदाताओं ने इसके कारण की व्याख्या करते हुए स्वीकार किया है कि परिवार में अब भी एक महिला की भूमिका वही पारंपरिक रही है और परेलु सगरत जिम्मेदारियाँ उसी की मानी जाती हैं। श्रेणीगत आधार पर भी प्रथम श्रेणी की अधिकांश उत्तरदाता (55.6 प्रतिशत) इस बात को स्वीकार करते हैं जबकि द्वितीय श्रेणी के उन उत्तरदाताओं का प्रतिशत समान (44.4 प्रतिशत) है जो इस मत को स्वीकार करते है / अस्वीकार करते हैं। जबकि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के सर्वाधिक उत्तरदाता (क्रमशः 38.4 प्रतिशत तथा 61.3 प्रतिशत) इस बात को स्वीकार करते हैं कि आय का तो स्वागत होता है परंतु परिवर्तित माँगों को नकार दिया जाता है।

सारणी संख्या – 1.04
स्वयं के यौन उत्पीड़न के अनुभव के आधार पर उत्तरदाताओं का वर्गीकरण

वर्ग ⇨	योग		प्रथम श्रेणी		द्वितीय श्रेणी		तृतीय श्रेणी		चतुर्थ श्रेणी	
प्राप्त स्वतंत्रता ⇩	आवृत्ति	प्रति0	आवृत्ति	प्रति0	आवृत्ति	प्रति0	आवृत्ति	प्रति0	आवृत्ति	प्रति0
हाँ	6	1.3	–	–	2	5.6	4	1.6	–	–
नहीं	458	98.7	18	100	34	94.4	246	98.4	160	100
योग	**464**	**100**	**18**	**100**	**36**	**100**	**250**	**100**	**160**	**100**

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि उत्तरदाताओं के एक बहुत बड़े प्रतिशत (98.7 प्रतिशत) ने कभी इस स्थिति का सामना नहीं किया है जबकि इसके विपरीत केवल 1.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने यौन उत्पीड़न को स्वीकार किया है। श्रेणीगत आधार पर भी प्रथम व चतुर्थ श्रेणी के शतप्रतिशत तथा द्वितीय व तृतीय श्रेणी के अधिकांश उत्तरदाताओं (क्रमशः 94.4 प्रतिशत एवं 98.4 प्रतिशत) ने किसी प्रकार के यौन उत्पीड़न को अस्वीकार किया है। सार रूप में कहा जा सकता है कि यहाँ पर कार्यालय में उत्तरदाताओं को यौन उत्पीड़न का सामना नहीं करना पड़ता है।

सारणी संख्या – 1.05
पुरूष कर्मचारी स्त्री से निचले पद पर कार्य करना स्वीकार नहीं कर पाते के संदर्भ में उत्तरदाताओं का मत

वर्ग ⇨	योग		प्रथम श्रेणी		द्वितीय श्रेणी		तृतीय श्रेणी		चतुर्थ श्रेणी	
मत ⇩	आवृत्ति	प्रति0	आवृत्ति	प्रति0	आवृत्ति	प्रति0	आवृत्ति	प्रति0	आवृत्ति	प्रति0
हाँ	292	62.9	12	66.7	18	50.0	154	61.6	108	67.5
नहीं	172	37.1	6	33.3	18	50.0	96	38.4	52	32.5
योग	**464**	**100**	**18**	**100**	**36**	**100**	**250**	**100**	**160**	**100**

उपरोक्त सारणी के आधार पर कहा जा सकता है कि अधिकांश उत्तरदाता (62.9 प्रतिशत) इस स्थिति को स्वीकार करते हैं कि एक पुरूष कर्मचारी कभी भी स्त्री से निचले पद पर कार्य करना स्वीकार नहीं कर पाते। शायद इसका प्रमुख कारण उनका अहम है या स्त्री से बड़ा होने की मनोवृत्ति। इसके विपरीत केवल 37.1 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इस स्थिति को अस्वीकार किया है। श्रेणीगत आधार पर भी प्रथम, तृतीय व चतुर्थ श्रेणी अधिकांश उत्तरदाताओं (क्रमशः 66.7 प्रतिशत एवं 61.6 प्रतिशत तथा 67.5 प्रतिशत) ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि पुरूष कभी भी स्त्री से निचले पद पर कार्य करने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं हो पाता। द्वितीय श्रेणी के उत्तरदाताओं द्वारा इस तथ्य को स्वीकार/अस्वीकार किए जाने का प्रतिशत (50.0 प्रतिशत) समान है।

प्रायः ऐसा माना जाता है कि उम्र में बड़े अधीनस्थ कर्मचारी एक युवा महिला अधिकारी के आदेशों का पालन नहीं करते परंतु हमारे उत्तरदाता इस मान्यता के अपवाद हैं। जैसा कि निम्न सारणी से स्पष्ट होता है

सारणी संख्या–1.06

उच्च पदों के लिए एक महिला को कम प्राथमिकता दिए जाने के संदर्भ में उत्तरदाताओं का मत

वर्ग ⇨	योग		प्रथम श्रेणी		द्वितीय श्रेणी		तृतीय श्रेणी		चतुर्थ श्रेणी	
मत ⇩	आवृत्ति	प्रति0	आवृत्ति	प्रति0	आवृत्ति	प्रति0	आवृत्ति	प्रति0	आवृत्ति	प्रति0
हाँ	74	15.9	6	33.3	6	16.7	40	16.0	22	13.8
नहीं	138	29.8	8	44.5	14	38.9	80	32.0	36	22.5
कह नहीं सकते	252	54.3	4	22.2	16	44.4	130	52.0	102	63.7
योग	**464**	**100**	**18**	**100**	**36**	**100**	**250**	**100**	**160**	**100**

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि अधिकांश उत्तरदाताओं (54.3.9 प्रतिशत) ने अपना कोई मत व्यक्त नहीं किया कि उम्र में बड़े अधीनस्थ कर्मचारी एक युवा महिला के आदेशों का पालन नहीं करते। जबकि 15.9 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कार्यालयों में इस स्थिति को स्वीकार किया है। श्रेणीगत आधार पर भी प्रथम श्रेणी के सर्वाधिक उत्तरदाताओं (44.5 प्रतिशत) ने इस स्थिति को अस्वीकार किया है, जबकि द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के सर्वाधिक उत्तरदाताओं (क्रमशः 44.4 प्रतिशत, 52.0 प्रतिशत तथा 63.7 प्रतिशत) ने इस संबंध में कोई मत व्यक्त नहीं किया। इससे यह स्पष्ट होता है कि अधिकांश उत्तरदाता यह मानते है कि महिला अधिकारियों को आयु में अपने से अधिक आयु वाले अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के अहम् का शिकार नहीं होना पडता।

निष्कर्ष :–

इस प्रकार विभिन्न सारणीयों के विश्लेशण के आधार पर कहा जा सकता है कि अधिकांश उत्तरदाताओं ने आर्थिक पहलू से होने वाले शोशण को भी अस्वीकार किया है। क्योंकि सर्वाधिक उत्तरदाताओं का मानना है कि उन्हें कमाने की पूर्ण स्वतन्त्रता के साथ ही व्यय करने की भी पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त है। आकडों के अनुसार एक कार्यरत महिला से प्राप्त आय का उसके परिवार के सदस्य स्वागत तो करते है किन्तु उससे संबंधित परिवर्तित मांगों को नकार देते है। अध्ययन मे एक सुखद तथ्य यह परिलक्षित होता है कि उत्तरदाताओं ने किसी प्रकार के भी शारिरिक हिंसा या शोशण को स्वीकार नही किया है। अध्ययन मे अधिकांश उत्तरदाताओं द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि उच्च पदों के लिए महिलाओं को सदैव कम प्राथमिकता दी जाती है, साथ ही एक पुरूश कर्मचारी कभी भी एक स्त्री से निचले पद पर कार्य करना स्वीकार नही कर पाते। अतः स्पश्ट है कि महिलाओं के विरूद्ध होने वाले हिंसा एंव शोशण के सन्दर्भ में बात की जाये तो कुमाऊ जैसे परम्परागत समाज मे कार्यरत महिलायें मानसिक शोशण का सामना तो करती है किन्तु अभद्र एंव शारिरिक हिंसा को अस्वीकार करती है।

सन्दर्भ :–

1. डा0 शर्मा अनुपम, 'इक्कसवी शताब्दी मे महिलाए समस्याये एंव सम्भावनाये''–2013, अल्फा पब्लिकेशन दरियागंज नई दिल्ली पेज न0 VII-VIII
2. Chowdhry Paul D.,"Women Welfare and Development," Asource Book inter India Publications D-17 Raja Garden New Delhi 1991, p-59
3. Krishna Raj M, "Women and Development," Shubhada Sarawat Prakashan Pune-1988
4. Shankaar Jha, Arty and Latika, "Status of Indian women" vol..3, Kanishka Publishing Distributers New Delhi 1998, p 113
5. Kapoor P., "Marriage and the working women in India," Delhi 1970, p-50
6. Dak.T.M., "Women and work Indian society," 1988, Discovery Publishing House Delhi, p-219
7. Patel Urmila, "Problems of Working Women in India," T.M.Dak(ed) women and work in Indian society, p-228
8. Mishra A.D., "Problems and Prospects of working women in Urban India," Published by K.M.Rai Mittal for Mittal Publication New Delhi 1994,p-64

❐❐❐